

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, १०/१५  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कम्य कोर्ट) कैम्प १५०१५

**:-आदेश:-**

पार्थी के "खाता नुसखती" प्रारंभ पत्र एवं पट्टा नं. १५०१५ व नू.अ.मि.  
१००१५ की रिपोर्ट तथा सहस्रोत्पन्न १०/१५ / पायब सहस्रोत्पन्न १०/१५ की अनुशंसा के अन्तर्गत पर राजस्व  
 राजस्व अधिनियम १९५० की धारा १३६ के अनुसरण में ग्राम १००१५ सहस्रोत्पन्न १०/१५ व जिला १०/१५  
१०/१५ की जमाबन्दी संख्या २०१३-२६ में खाता संख्या ३१५ में वर्तमान में दण्ड  
 प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	संख्या	संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जायेगी)
०१.	१००१५	३१५	किशनसिंह जमनी पि. "देवी भई"	किशनसिंह जमनी पि. "देवी भई"

*fha*  
 सहस्रोत्पन्न अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी, पीम  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, १०/१५

क्रमांक :- (१५) ३६१

दिनांक :- १७/१०/२०१५

प्रतिलिपि :-  
 सहस्रोत्पन्न १०/१५ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध  
 किया जाकर फालतू रिपोर्ट भिजवायें।  
 नू.अ.मि. १००१५ को सूचनाार्थ।  
 सहस्रोत्पन्न १०/१५ किशनसिंह जमनी पि. / देवी भई

*fha*  
 सहस्रोत्पन्न अधिकारी  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
 जिला-राजसमन्द  
१०/१५